ELECTRICITY EMPLOYEES' FEDERATION OF INDIA
B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi-110 002
E-mail id – eefederation@gmail.com, Mob. No. 8800580584 / 8918372750

ELAMARAM KAREEM (Ex-M.P.) President | S RAJENDRAN Treasurer | SUDIP DUTTA General Secretary

No. 10/ईईएफआई/सर्कुलर/04/2025 Date: 5 सितम्बर 2025

सर्कुलर

ईईएफआई वर्किंग कमेटी की बैठक 30–31 अगस्त 2025 को ऊटी, तमिलनाडु में हुई। बैठक में 55 में से 36 सदस्य और 3 आमंत्रित सदस्य उपस्थित थे। मीटिंग से अनुपस्थिति के 15 आवेदन मिले थे जिन्हें स्वीकार किया गया।

बैठक की अध्यक्षता ईईएफआई के अध्यक्ष कॉमरेड ई. करीम ने की। ईईएफआई वर्किंग कमेटी ने मजदूर वर्ग के एक प्रखर नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन को श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्किंग कमेटी ने दुनिया भर में साम्राज्यवादी आक्रमण, प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को भी श्रद्धांजलि दी।

अपने अध्यक्षीय भाषण में, कॉमरेड ई. करीम ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्थिति पर प्रकाश डाला, जो साम्राज्यवादी टैरिफ युद्ध, व्यापार समझौतों और केंद्र सरकार द्वारा मज़दूरों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्राकृतिक संसाधनों पर किए जा रहे हमलों पर केंद्रित थी। उन्होंने मज़दूरों और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने और हमारे देश के लोकतांत्रिक स्थान की रक्षा में ईईएफआई की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया।

महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में देश में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में भारत द्वारा ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों के साथ हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक व्यापार समझौते (सीईटीए) और व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) का उल्लेख किया गया है, जिसका भारत के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र, डेयरी और कृषि उत्पादों, वस्त्र और अन्य उद्योगों पर प्रभाव पड़ेगा।

एमएमडीआर अधिनियम (2025) में हालिया संशोधन भारत की खनिज संपदाकृजिसमें ऊर्जा परिवर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज शामिल हैंकृको निजी और विदेशी कॉरपोरेटों को सौंपने का एक ज़बरदस्त प्रयास है। यह कदम न केवल अडानी, वेदांता, टाटा और विदेशी खनन दिग्गजों जैसे कुछ बड़े कॉरपोरेटों को समृद्ध करेगा, बल्कि महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की संप्रभुता को भी कमजोर करेगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को हाशिए पर धकेल देगा, और साथ ही उन आदिवासी समुदायों और मज़दूरों को तबाह कर देगा जो अपनी आजीविका के लिए खनन क्षेत्रों पर निर्भर हैं।

इसके अलावा, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी और विदेशी पूंजी के लिए खोलने का सरकार का कदम रणनीतिक संसाधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण के आखिरी गढ़ों में से एक को ध्वस्त करने का एक और खतरनाक प्रयास है।

पृष्ठ 2 पर जारी...

परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम को कमज़ोर करके, सरकार परमाणु ऊर्जा उत्पादन, यूरेनियम खनन और यहाँ तक कि छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर परियोजनाओं को टाटा, जिंदल, वेदांता और संभवतः अडानी समूह जैसे कॉर्पोरेट एकाधिकारियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही सरकार चरणबद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के ज़रिए विदेशी निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है। विदेशी कंपनियों के लिए सौदे को आसान बनाने के लिए, सरकार आपूर्तिकर्ताओं की ज़िम्मेदारी कम करने और ज़िम्मेदारी ऑपरेटरों और बीमा पूल पर डालने की कोशिश कर रही हैकृजिससे परमाणु दुर्घटनाओं की स्थिति में बड़ी कंपनियों की जवाबदेही ख़त्म हो जाएगी, जबकि जोखिम जनता उठाएगी। 2025–26 के बजट में घोषित रू0 20,000 करोड़ का 'परमाणु ऊर्जा मिशन', निजी यूरेनियम खनन और आयात की अनुमति के साथ, जोखिमों का सामाजिकरण करते हुए मुनाफ़े का निजीकरण करने की सब्सिडी–आधारित कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है।

मोदी सरकार, जिसने लेबर कोड कानूनों के कार्यान्वयन को फिलहाल रोक दिया है, राज्य सरकारों पर लेबर कोड के प्रावधानों के अनुरूप मौजूदा श्रम कानूनों में संशोधन करने का दबाव बना रही है। अब तक, 31 राज्यों ने महिलाओं के लिए रात्रि पाली में काम करने की अनुमति देने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन किया है, 19 राज्यों ने बिजली वाले कारखानों में श्रमिकों की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 और बिना बिजली वाले कारखानों में 20 से बढ़ाकर 40 कर दी है, और 12 राज्यों ने तिमाही ओवरटाइम की सीमा बढ़ा दी है। 20 राज्यों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन किया है ताकि छंटनी और तालाबंदी के लिए पूर्व अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी जा सके। 25 राज्यों ने निश्चित अवधि के रोजगार की अनुमति देने के लिए रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम में संशोधन किया है। 25 राज्यों ने मालिकों द्वारा अपराधों के मामले में सजा को कम करने के लिए श्रम कानूनों में भी संशोधन किया है।

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), अपने वैश्विक कार्यबल के 2 फीसदी , यानी पूरे भारत में 12,000 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी करने की प्रक्रिया में है। कर्मचारियों पर यह अचानक हमला ऐसे समय में किया गया है जब TCS ने साल–दर–साल 6.0 फीसदी की समेकित राजस्व वृद्धि दर्ज की है और उद्योग में सबसे ज़्यादा परिचालन लाभ मार्जिन हासिल किया है।

हमें देश के विभिन्न हिस्सों, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने की आड़ में बंगाली भाषी प्रवासी कामगारों पर हो रहे हमलों, धमकियों और उत्पीड़न पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह मज़दूर वर्ग के एक कमज़ोर तबके को बदनाम करने, उनके जीवन, सुरक्षा, नौकरियों और आजीविका पर सीधा हमला करने और भाजपा सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक सुनियोजित और ख़तरनाक प्रयास है।

इस स्थिति में, हमें इन असहाय प्रवासी मज़दूरों के साथ खड़ा होना चाहिए, एकजुटता के लिए कदम उठाने चाहिए और सभी राज्य सरकारों से मांग करनी चाहिए कि वे सभी प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करें। और इसके साथ ही वे उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, जिसमें पर्याप्त आवास का अधिकार और जबरन बेदखली से सुरक्षा शामिल है।

चुनाव आयोग का मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मतदाता–दमन योजना से कम नहीं है, जिसे चुनावी 'सफाई' के नाम पर छुपाया जा रहा है–बिहार चुनावों से पहले हाशिए पर पड़े समुदायों, प्रवासियों और युवा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने और सत्ता पर काबिज़

पृष्ठ 3 पर जारी...

अभिजात वर्ग की पकड़ को बनाए रखने के लिए रणनीतिक रूप से लागू किया गया है। आधार, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र को छोड़कर, 11 मुश्किल से मिलने वाले दस्तावेज़ों को जमा करने की माँग करके, चुनाव आयोग ने नौकरशाही की ऐसी बाधाएँ खड़ी कर दी हैं जिनका गरीब, अशक्त और अस्थायी आबादी पर असमान रूप से प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रक्रिया के कारण पहले ही मसौदा मतदाता सूची से 65 लाख नामों को हटाया जा चुका है, यह एक ऐसी सामूहिक छंटाई है जिससे संस्थागत मतदान चोरी की बू आती है। सर्वोच्च न्यायालय की फटकारकृहटाए गए नामों का पूरा खुलासा करने का आदेश, आधार और ईपीआईसी को वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देना, और चुनाव आयोग से आपत्तियाँ स्वीकार करने की माँग करनाकृचुनाव आयोग के अतिक्रमण और पक्षपातपूर्ण संचालन को सबके सामने ले आता है।

एक और ख़तरनाक कदम उठाते हुए, मोदी सरकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और अन्य मंत्रियों को 30 दिनों की हिरासत के बाद पद से हटाने के लिए तीन विधेयक पेश कर रही है, जो स्थापित क़ानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने की उसकी अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्तमान सरकार की नव–फ़ासीवादी प्रवृत्तियों को देखते हुए, इसका इस्तेमाल विपक्षी राज्य सरकारों को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाएगा।

चल रहे संघर्षों की रिपोर्टिंगः ईईएफ़आई वर्किंग कमेटी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन स्थित एनटीपीएल पावर प्लांट के हड़ताली कर्मचारियों को 29 दिनों की हड़ताल के बाद उनकी शानदार जीत के लिए बधाई दी। लंबे संघर्ष के बाद, उन्होंने रू0 90 प्रतिदिन की वेतन वृद्धि के साथ हड़ताल खत्म किया।

हिमाचल प्रदेश में भी लगातार संघर्ष चल रहा है, जहाँ बिजली कर्मचारी, पेंशनभोगी और उपभोक्ता हर ज़िले में हज़ारों लोगों को लामबंद कर रहे हैं। बदले की कार्रवाई में, प्रबंधन ने यूनियन के महासचिव सहित हमारे नेतृत्व को प्रताड़ित किया। लेकिन अदम्य साहस और दृढ़ विश्वास के साथ, कर्मचारी डटे रहे और मुख्यमंत्री को बातचीत के लिए उनके साथ बैठने के लिए मजबूर किया।

पंजाब बिजली यूनियनों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, हमारे नेतृत्व में, 11 अगस्त 2025 से तीन दिनों के लिए सामूहिक आकस्मिक अवकाश आंदोलन शुरू किया। हड़ताल व्यापक थी। हड़ताल के दौरान, वित्त और ऊर्जा मंत्री ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की और हमने ठेका कर्मियों समेत सभी के लिए एक अच्छा समझौता किया।

उत्तर प्रदेश में संघर्ष 250 दिनों से भी अधिक समय से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के निरंतर संघर्ष ने मंत्रालय और प्रबंधन को उनसे बात करने के लिए मजबूर किया, लेकिन अब तक उन्होंने अपनी निजीकरण योजना वापस नहीं ली है। कर्मचारियों और इंजीनियरों ने धमकी दी है कि अगर सरकार निविदा (टेंडर) जारी करती है, तो कर्मचारी सामूहिक रूप से अदालती गिरफ़्तारियाँ करेंगे और उत्तर प्रदेश बिजली क्षेत्र को ठप्प कर देंगे।

बैठक में स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और साथ ही भविष्य के संगठनात्मक एवं आंदोलनात्मक कार्यों की रूपरेखा भी तैयार की गई।

उद्योग के घटनाक्रमों के मुख्य बिंदुः बैठक में उद्योग के घटनाक्रमों पर एक विस्तृत नोट प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा की गई। वर्किंग कमेटी ने केंद्र और कई राज्य सरकारों द्वारा बिजली क्षेत्र में तेज़ी से किए जा रहे निजीकरण के प्रयासों पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

पृष्ठ 4 पर जारी...

वर्किंग कमेटी ने उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के वीरतापूर्ण संघर्ष की सराहना की, जो पिछले नौ महीनों से राज्य/सार्वजनिक बिजली कंपनियों के निजीकरण के ज़बरदस्त प्रयासों का सफलतापूर्वक विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में निजीकरण के किसी भी प्रयास को पूरे देश में ज़ोरदार आंदोलन के साथ लड़ा जाएगा।

बैठक में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि बिजली की स्थिति दिन–प्रतिदिन और भी गंभीर और जटिल होती जा रही है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 26 अगस्त 2025 को औपचारिक रूप से एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, अदानी इलेक्ट्रिसिटी पुडुचेरी लिमिटेड, का गठन किया। निस्संदेह, अदानी इलेक्ट्रिसिटी पुडुचेरी लिमिटेड का गठन पुडुचेरी विद्युत विभाग के निजीकरण से सीधे तौर पर जुड़ा है।

केंद्र सरकार ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण के निजीकरण की अपनी योजना की घोषणा पहले ही कर दी थी। पुडुचेरी के लिए एक अलग सहायक कंपनी बनाकर, अदानी ने निजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद वितरण व्यवसाय को संभालने के लिए एक कॉर्पोरेट तंत्र स्थापित कर लिया है।

दूसरी ओर, महाराष्ट्र में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंसिंग की मांग तेज़ हो गई है, जहाँ टोरेंट पावर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा पावर जैसी निजी कंपनियाँ कई क्षेत्रों में आक्रामक रूप से प्रवेश की कोशिश कर रही हैं। टोरेंट पावर ने नागपुर, पुणे, मुंबई उपनगरों, ठाणे–पालघर और वसई–विरार को कवर करने वाले आवेदनों के साथ बढ़त बना ली है। अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेड ने ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल और आसपास के क्षेत्रों को कवर करने वाले लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, और टाटा पावर ने पुणे, नासिक और मुंबई महानगर क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए आवेदन जमा किए हैं। समानांतर लाइसेंसिंग की लड़ाई अब महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र के लिए एक निर्णायक मोड़ के रूप में आकार ले रही है, और यह स्पष्ट है कि केंद्र और कई राज्य सरकारें विभिन्न तरीकों से सार्वजनिक बिजली वितरण उपक्रमों के निजीकरण के लिए बेताब हैं।

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तन ने भी एक बहुत ही विरोधाभासी रूप ले लिया है। भारत ने 30 जून 2025 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50 फीसदी गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहीं, राजस्थान ने मार्च से अब तक 4 गीगावाट सौर क्षमता में कटौती की है; उद्योग को रू. 250 करोड़ तक का नुकसान हुआ है। यह कटौती पारेषण बाधाओं और मौजूदा लाइनों में भीड़भाड़ के कारण हुई है। यह समस्या व्यापक है, पंजाब में भी उच्च कटौती दर (44 फीसदी तक) का सामना करना पड़ रहा है, और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी पारेषण सीमाओं के कारण ऐसी ही चुनौतियाँ मौजूद हैं।

लेकिन यह बहुप्रचारित 'हरित परिवर्तन' मुख्य रूप से पर्यावरणीय नहीं है। इसका ध्यान बड़े पैमाने पर आईपीओ और कॉर्पोरेट निवेश पर है, जिससे पूंजी संचय के नए रास्ते खुलते हैं। वास्तविक लाभार्थी आम नागरिक नहीं, बल्कि अरबों रुपये के इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) टेंडर जीतने वाली और परियोजनाओं के लिए विशेष अधिकार हासिल करने वाली बड़ी कंपनियाँ हैं। यह 'हरित पूंजीवाद' सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व (जीवाश्म ईंधन) की जगह निजी क्षेत्र (नवीकरणीय ऊर्जा दिग्गज) को स्थापित करता है, बजाय इसके कि समुदायों को अपने ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाए।

यह सच है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के घटक के लिए पीएम–सूर्य घर– मुफ्त बिजली योजना के कार्यान्वयन हेतु दिशा–निर्देशों में संशोधनों को अधिसूचित किया है।

पृष्ठ 5 पर जारी...

हालाँकि, सौर ऊर्जा बाजार के एक अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसका लाभ किसे मिल रहा है। टाटा पावर ने अपनी सौर और नवीकरणीय ऊर्जा शाखाओं के माध्यम से वित्त वर्ष 2024–25 में रू. 64,502 करोड़ का अपना अब तक का सर्वोच्च राजस्व और रू. 5,197 करोड़ का लाभ दर्ज किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा से होने वाली आय में 48 फीसदी की वृद्धि और रूफटॉप सोलर में मजबूत वृद्धि के कारण संभव हुआ, जहाँ ईपीसी बाजार में इसकी लगभग 20 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके रूफटॉप और मॉड्यूल निर्माण खंडों में भी लाभ में तीव्र वृद्धि देखी गई, जिससे टाटा पावर स्पष्ट रूप से बाजार में अग्रणी बन गई।

अडानी ग्रीन एनर्जी एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरी है, जिसने वित्त वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में लाभ में 31 फीसदी की वृद्धि के साथ रू. 824 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की, जिसमें उच्च ऊर्जा बिक्री और सौर और पवन दोनों परियोजनाओं में बेहतर क्षमता उपयोग का समर्थन है। विनिर्माण पक्ष पर, आईएनए सोलर (इन्सोलेशन एनर्जी लिमिटेड) ने वित्त वर्ष 2024–25 में रू. 1,334 करोड़ का राजस्व और रू. 126 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल–दर–साल दोगुना से अधिक है, और तेजी से अपने मॉड्यूल और सेल क्षमता का विस्तार कर रहा है, जो अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार से उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) के साथ संयोजन कर रहा है। इस बीच, 10 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय संपत्तियों के साथ, रिन्यू एनर्जी ग्लोबल एक प्रमुख डेवलपर बना हुआ है। इसके अलावा, ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के उतार–चढ़ाव भरे और अनियमित एकीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की डिस्कॉम कंपनियों पर पड़ने वाला तकनीकी और वित्तीय बोझ बेहद गंभीर है और आगे चलकर डिस्कॉम कंपनियों का निजीकरण हो जाएगा।

वर्चुअल पावर परचेज एग्रीमेंट (वीपीपीए) को औपचारिक मान्यता देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वीपीपीए मूलतः एक नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर और एक कॉर्पोरेट क्रेता के बीच एक वित्तीय अनुबंध होता है, जिसे अंतर–अनुबंध के रूप में बनाया जाता है। इस व्यवस्था में, नवीकरणीय परियोजना बिजली उत्पन्न करती है और उसे सीधे स्थानीय थोक बिजली बाजार में प्रचलित बाजार मूल्य पर बेचती है। कॉर्पोरेट क्रेता को यह बिजली भौतिक रूप से प्राप्त नहीं होती; बल्कि, वास्तविक बिजली ग्रिड में प्रवाहित होती है और जो भी इससे जुड़ा होता है, वह इसका उपभोग करता है।

यदि उस समय थोक बाजार मूल्य स्ट्राइक मूल्य से कम है, तो क्रेता डेवलपर को उसके राजस्व की गारंटी के लिए अंतर का भुगतान करता है। इसके विपरीत, यदि बाजार मूल्य अधिक है, तो डेवलपर क्रेता को अंतर का भुगतान करता है, जिससे क्रेता को वित्तीय लाभ होता है। इसके साथ ही, परियोजना द्वारा उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) या अन्य पर्यावरणीय विशेषताएँ खरीदार को हस्तांतरित कर दी जाती हैं, जिससे वे अपनी स्थिरता रिपोर्ट में नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग का दावा कर सकते हैं, भले ही उनके वास्तविक संचालन जीवाश्म ईंधन–भारी ग्रिड से बिजली प्राप्त करते रहें। वीपीपीए वित्तीय अनुबंध हैं जो बड़ी कंपनियोंकृविशेषकर बड़ी तकनीकी फर्मों और बहुराष्ट्रीय कंपनियोंकृको सीधे स्वच्छ ऊर्जा खरीदे बिना ष्हरित ऊर्जाष् का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देते हैं।

इसके साथ ही, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने मासिक बिजली वायदा अनुबंध शुरू किए हैं। नए अनुबंधों का उद्देश्य बिजली उत्पादकों, वितरण कंपनियों और बड़े उपभोक्ताओं के लिए मूल्य निर्धारण को सुगम बनाना और हेजिंग उपकरण प्रदान करना है। कारोबार के पहले दिन, 4,000 से अधिक अनुबंधों का आदान–प्रदान हुआ, जो लगभग 20 करोड़ यूनिट बिजली के बराबर थे, और कुल कारोबार रू. 87 करोड़ से अधिक था। निश्चित रूप से, आने वाले दिनों में बिजली बाजार पूरी तरह से सट्टा बाजार में रहने वाला है।

पृष्ठ 6 पर जारी...

लेकिन निस्संदेह, सबसे खतरनाक कदम ऊर्जा मंत्रालय (MoP) और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय (MoAE) की 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा मिशन को हासिल करने के मकसद से लिया गया फैसला है। असैन्य परमाणु क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के उद्देश्य से, सरकार ने लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) को अपने सुधार एजेंडे के केंद्र में रखा है। केंद्रीय बजट 2025–26 में, सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये का परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया है, जिसका विशिष्ट लक्ष्य 2033 तक पाँच स्वदेशी रूप से विकसित एसएमआर को चालू करना है। इसे व्यवहार्य बनाने के लिए, परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1963) और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व (सीएलएनडी) अधिनियम (2010) में संशोधन तैयार किए जा रहे हैं, जिससे निजी कंपनियों को न केवल निवेश करने, बल्कि एनपीसीआईएल या एनटीपीसी के साथ साझेदारी में एसएमआर का निर्माण और संचालन करने में भी सक्षम बनाया जा सकेगा।

रिलायंस, टाटा पावर, अडानी, वेदांता और जिंदल जैसे प्रमुख निजी समूहों ने कथित तौर पर सरकारी संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से या वैश्विक फर्मों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग के माध्यम से एसएमआर क्षेत्र में प्रवेश करने में रुचि दिखाई है। सीएलएनडी अधिनियम से आपूर्तिकर्ता दायित्व को हटाने से भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में खतरनाक तबाही मचेगी।

उद्योग के इन गंभीर हालातों में वर्किंग कमेटी की बैठक में निम्नलिखित संगठनात्मक एवं आन्दोलनात्मक फैसले एवं कार्यभार तय किए गए।

संगठनात्मक फैसले

A. **2024 के लिए सदस्यता जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। सभी यूनियनों को वार्षिक रिटर्न फॉर्म की एक प्रति EEFI केंद्र को ईमेल या डाक द्वारा जमा करनी होगी।** रिटर्न फॉर्म के बिना, सदस्यता मान्य नहीं होगी।

B. **प्रमुख यूनियनों के साथ चर्चा करके 2025 की सदस्यता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।** ***सदस्यता वृद्धि का यूनियनवार प्रतिशत इस परिपत्र (अनुलग्नक–I) के साथ संलग्न चार्ट में प्रस्तावित है।***

प्रस्ताव के अनुसार, फेडरेशन की सदस्यता में कुल वृद्धि 15 फीसदी होगी।

C. **सभी यूनियनों को 31 दिसंबर 2025 तक वर्ष 2024 के लिए संघर्ष फंड के रूप में प्रति सदस्य 10 रुपये जमा करने होंगे। ठेका श्रमिक यूनियनें संघर्ष फंड के रूप में प्रति सदस्य 5 रुपये जमा कर सकती हैं।**

D. हमने सभी घटक यूनियनों के लिए कुछ प्राथमिकता वाले संगठनात्मक कार्यों को अपनाया है। यूनियनों ने इन कार्यों के संबंध में सकारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पर और ज़ोर देने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि:

   a) **2025 की सदस्यता को डिजिटल प्रारूप में अद्यतन किया जाए और विस्तृत सूची ईईएफआई केंद्र के साथ साझा की जाए।**

   b) **ईईएफआई केंद्र के निर्णयों की फाइलिंग और रिपोर्टिंग, साथ ही कमेटी की बैठकों की रिपोर्टिंग, प्रत्येक सूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर की जाएगी।**

   c) यूनियनों और ईईएफआई केंद्र के बीच नियमित समन्वय स्थापित किया जाएगा।

पृष्ठ 7 पर जारी...

E. पिछले सम्मेलन के बाद, हमने अपने संगठन के अधिक लोकतांत्रिक और सामूहिक कामकाज के लिए 8 उप–समितियों का गठन किया।

इस बीच, कुछ उप–समितियों ने प्रारंभिक कार्य करना शुरू कर दिया है। युवा उप–समिति की 24 अगस्त 2025 को हैदराबाद में भौतिक रूप से बैठक हुई। ***बैठक के निर्णय सभी यूनियनों के विचार और कार्यान्वयन के लिए संलग्न हैं (अनुलग्नक–II)।***

अन्य उप–समितियाँ अभी भी काम नहीं कर रही हैं। हमें सभी उप–समितियों का नियमित कामकाज सुनिश्चित करना होगा।

F. **संगठन का विस्तारः** यह निर्णय लिया गया कि एक ही उपक्रम के नियमित और अनियमित कर्मचारियों की सदस्यता बढ़ाने या उनके बीच यूनियन बनाने, अन्य उपक्रम कंपनियों में कनेक्शन जोड़ने और मौजूदा स्वतंत्र यूनियनों को ईईएफआई से संबद्ध करने के लिए विशेष पहल की जाएगी।

285 सदस्यों वाली ओडिशा विद्युत क्षेत्र तकनीकी कर्मचारी संघ, बालासोर, इस वर्किंग कमेटी बैठक से ईईएफआई से संबद्ध हो गई है। त्रिशूर कॉर्पोरेशन और कन्नदेवन टीई की वितरण उपक्रमों में कार्यरत यूनियनों को ईईएफआई के अंतर्गत लाया जाएगा। केरल का विद्युत तारकर्मी और पर्यवेक्षक संघ ईईएफआई में शामिल होगा। संयुक्त संघर्ष में शामिल आंध्र प्रदेश के दो यूनियनों से ईईएफआई में शामिल होने के लिए संपर्क किया जाएगा।

हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में कार्यरत कोयला यूनियनों के नेताओं से मौजूदा स्वतंत्र विद्युत क्षेत्र यूनियनों के साथ प्राथमिक संपर्क विकसित करने के लिए संपर्क किया है। **झारखंड के दो ताप विद्युत संयंत्र बहुत जल्द ईईएफआई से संबद्ध हो जाएँगे।**

आरई क्षेत्र में हमारे संगठनात्मक विस्तार की योजना बनाने के लिए केरल में एक बैठक आयोजित की जाएगी।

G. केंद्रीय विद्युत क्षेत्र, विशेषकर विद्युत उत्पादन इकाइयों में, हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है। हम आने वाले दिनों में नई यूनियनें बनाने और मौजूदा यूनियनों को ईईएफआई और सीआईटीयू में लाने का प्रयास करेंगे। इस विशिष्ट एजेंडे पर चर्चा करने और इसके दायरे का आकलन करने के लिए पदाधिकारियों की एक समर्पित बैठक आयोजित की जाएगी।

H. नवंबर 2025 में दिल्ली में परमाणु ऊर्जा और मूल्य श्रृंखला कर्मचारियों की एक बैठक आयोजित की जाएगी।

I. **विद्युत कर्मचारी–उपभोक्ता मंच का गठनः** हमने विद्युत कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के संरचित संघों का गठन शुरू कर दिया है। **सभी राज्यों को अगली वर्किंग कमेटी बैठक से पहले स्थायी कर्मचारी–उपभोक्ता मंचों के गठन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।**

J. **सभी यूनियनों को अगली वर्किंग कमेटी बैठक से पहले आंतरिक समितियों का गठन सुनिश्चित करना होगा।** इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए प्रत्येक यूनियन की मुख्य सचिव और अध्यक्ष के साथ कामकाजी महिला उप–समिति की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की जाएगी।

पृष्ठ 8 पर जारी...

K. सोशल मीडिया और प्रकाशनों में हमारी उपस्थिति बढ़ाने के लिए तत्काल कार्य करने की आवश्यकता है। **वेबसाइट विकसित करने और अन्य प्रचार संबंधी मुद्दों को अगली कार्यसमिति की बैठक से पहले पटरी पर ले आया जाएगा।**

L. **शिक्षा:** अपने दसवें सम्मेलन से, हमने इस बात पर गंभीरता से आत्मचिंतन किया है कि हमारे कार्यकर्ताओं और सदस्यों के राजनीतिकरण के कार्यों की लंबे समय से उपेक्षा की गई है। इसे पूरी ईमानदारी और तत्परता से सुधारा जाना चाहिए। **हम ईबी अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र द्वारा समन्वित एक पूर्ण कार्यकर्ता विकास कार्यक्रम तैयार करेंगे। हमें नवंबर और दिसंबर 2025 में क्षेत्रीय कक्षाएं आयोजित करनी हैं।**

मज़दूरों की व्यापक शिक्षा के लिए, हम हर महीने शिक्षा और अभियान के लिए एक विशिष्ट विषय और मुद्दा प्रस्तावित करेंगे। इसका अर्थ है कि यूनियनों को व्यापक शिक्षा का एक एजेंडा सहायक सामग्री के साथ प्रदान किया जाएगा, जिसका अनुवाद, मुद्रण और व्यवस्थित तरीके से श्रमिकों के बीच प्रचार किया जाना चाहिए। इससे यूनियनों के सभी स्तरों पर शैक्षिक अभियानों का एक नेटवर्क स्थापित होगा।

M. **क्षेत्रीय समितियों की बैठक अक्टूबर 2025 में होगी।**

आंदोलनात्मक कार्य:

A. **निजीकरण विरोधी संघर्ष को तेज करना; उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से लड़ना; महाराष्ट्र में समानांतर लाइसेंसिंग प्रणाली को रोकें; और पुडुचेरी विद्युत विभाग की सुरक्षा के लिए संघर्ष की तैयारी करें। ईईएफआई दक्षिणी क्षेत्र 23 सितंबर 2025 को पुडुचेरी में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने और भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने के लिए बैठक करेगा। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की पहल की जानी चाहिए।**

B. विभिन्न उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित कई लंबित मुद्दे हैं। वेतन संशोधन में लंबितता या विसंगतियाँ, ओपीएस की माँग और नई भर्ती सभी कंपनियों में आम हैं। **कर्मचारियों और उद्योगों के इन मुद्दों पर, सितंबर और अक्टूबर 2025 के दौरान एक राज्य–स्तरीय कन्वेंशन, उसके बाद निचले स्तर के कन्वेंशन और बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।** राज्य–स्तरीय कन्वेंशनों में ईईएफआई के राष्ट्रीय नेतृत्व की उपस्थिति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

यह अभियान 10 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस – राज्यों की राजधानियों में बिजली कर्मचारियों के विशाल प्रदर्शन के रूप में समाप्त होगा।

C. ठेका कर्मचारी अब बिजली क्षेत्र में प्रमुख हड़ताली ताकत हैं। लेकिन अधिकांश राज्यों में उन्हें केवल न्यूनतम वेतन मिलता है और वे पूरे देश में घातक दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। वर्किंग कमेटी में संविदा कर्मचारियों के मुद्दों पर केंद्रित संघर्ष की एक विशेष रूपरेखा तैयार की गई है।

पृष्ठ 9 पर जारी...

<u>सितंबर–अक्टूबर में ठेका कर्मचारियों के मुद्दों पर एक व्यापक, अलग अभियान शुरू किया जाना चाहिए, जिसके बाद 20 नवंबर 2025 को बिजली कंपनी मुख्यालय के सामने एक विशाल प्रदर्शन किया जाना चाहिए।</u>

D. हम कई राज्यों में बिजली कर्मचारी एवं उपभोक्ता मंच बनाने की प्रक्रिया में हैं। राज्य और स्थानीय स्तर पर किसान संगठनों के साथ संयुक्त संघर्ष करने की बहुत अच्छी संभावनाएँ मौजूद हैं। **एकजुट, मुद्दा–आधारित संघर्ष और संयुक्त कार्रवाई के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए राज्य स्तर पर AIKS और AIAWU के साथ एक संयुक्त बैठक की योजना बनाई जाएगी।**

E. **सोवियत संघ की लाल सेना द्वारा फासीवाद पर विजय की 80वीं वर्षगांठ और WFTU के 80वें स्थापना दिवस को सेमिनारों और संगोष्ठियों के माध्यम से आयोजित करें।**

F. राज्य डिस्कॉम के पुनरुद्धार के लिए वैकल्पिक तकनीकी–आर्थिक योजनाओं की तैयारी पर काम शुरू करें और ऊर्जा परिवर्तन प्रक्रिया में अधिक सशक्त भागीदारी के लिए संगठन के क्षमता निर्माण पर विशेष जोर।

शुभकामनाओं के साथ

Sudip Dutta

(सुदीप दत्ता)
महासचिव